

जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 245 वीं बैठक दिनांक 30.05.2017 को सांय 5.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। एजेण्डा संख्या 2 से 7, अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 व 2 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मास्टर प्लान व एजेण्डा संख्या 8 से 18, अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 3 वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी एलपी -प्रथम द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक आयोजना, जयपुर।
3. श्रीमती साधना शर्मा, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. श्री बी.डी जाट, | अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) |
| 2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी | वरिष्ठ नगर नियोजक मास्टर प्लान-प्रथम |
| 3. श्री मनोज कुमार | उपायुक्त जोन -5 |
| 4. श्री रामलाल गुर्जर | उपायुक्त जोन-6 |
| 5. श्री सत्यप्रकाश कस्वा | उपायुक्त जोन -7 |
| 6. श्री अशोक कुमार चौधरी | उपायुक्त जोन -8 |
| 7. श्री मधु सूदन पालीवाल | उपायुक्त जोन - 9 |
| 8. श्री देवेन्द्र कुमार जैन | उपायुक्त जोन-11 |
| 9. श्री राजकुमार सिंह | उपायुक्त जोन -12 |
| 10. श्री बीरबल सिंह | उपायुक्त जोन-13 |
| 11. श्री सुरेन्द्र सिंह यादव | उपायुक्त जोन -14 |
| 12. सहायक नगर नियोजक | जोन-6,7,9,12,13,एम.पी. |
| 13. श्रीमती उषा जैन | सलाहकार, जनसम्पर्क |

एजेण्डा संख्या:-1 (245/30.05.2017)

विषय:- बी.पी.सी (एलपी) की 244 वी बैठक दिनांक 27.04.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि बाबत।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2 (मास्टर प्लान/जोन-5)-(245/30.5.2017)

विषय :- खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पार्श्वनाथ कॉलोनी में भूखण्ड 140 व 141 के दक्षिण दिशा में स्थित सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्या:-3 (मास्टर प्लान/जोन-9-(245/30.05.2017)

विषय:- सैक्टर प्लान 80 की पूर्व पश्चिम 60 मीटर सड़क जो कि महल एवं सैन्ट्रल स्पाईन योजना में से गुजरते हुये महल रोड पर मिलती है के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन स्तर पर प्रश्नगत सड़क के क्षेत्र की भूमि अवाप्ति तथा कमिटमेंटस (i.e, पूर्व में जारी पट्टा विलेखों) के परिपेक्ष में प्रकरण की गहन जांच की जावे। तत्पश्चात प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किय जावे।



एजेण्डा संख्या:-4 (मास्टर प्लान/जोन-9)-(245/30.05.2017)

विषय:- निजी खातेदारी की आवासीय योजना आशादीप किंग्स कोर्ट में पार्क हेतु आरक्षित 4066.11 वर्ग मीटर के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल 406.60 वर्ग मीटर का कम्यूनिटी हॉल व अन्य सुविधाओं हेतु एण्डयूज निर्धारण बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग, राज्य सरकार को पूर्व में प्रेषित पत्रों दिनांक 13-5-2016 व दिनांक 16-11-2016 में योजना के क्षेत्र बाबत अस्पष्ट व अपूर्ण विवरण दिया गया है जिससे राज्य सरकार से सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है ; अतः राज्य सरकार को योजना के क्षेत्र बाबत स्पष्ट व पूर्ण विवरण अंकित कर मार्गदर्शन हेतु पुनः पत्र लिखा जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा इस बाबत आयोजना शाखा के माध्यम से राज्य सरकार को पत्र प्रेषित करवाया जावे।

एजेण्डा संख्या:-5 (मास्टर प्लान/जोन-9)-(245/30.05.2017)

विषय:- ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 480 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 481 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 482 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 483 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 484/1 रकबा 0.515 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 1.585 हैक्टेयर भूमि पर संशोधित लोजडीड मुख्यमंत्री जन आवास योजना अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 3 अप्रैल 2017 के बिन्दु संख्या 11 के प्रावधान अनुसार भूखण्ड पर प्रस्तावित ई.डब्ल्यू. एस/एल.आई.जी के कुल बिल्टअप एरिया का एक प्रतिशत क्षेत्र कम्यूनिटी हॉल/सुविधा हेतु आरक्षित रखे जाने बाबत नोट साइट प्लान में अंकित किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-6 (मास्टर प्लान/जोन-9) -(245/30.05.2017)

विषय:- ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 171 रकबा 0.50 हैक्टेयर 173 रकबा 0.53 हैक्टेयर 174 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 175 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 176 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 177 रकबा 0.09 हैक्टेयर एवं 178 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 1.54 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। आवेदक को सामान्य आवासीय एकल पट्टा जारी किये जाने के लिए नियमानुसार लेय समस्त राशियां तथा सुविधा क्षेत्र के एवज में पांच प्रतिशत के समतुल्य राशि जमा करवाई जावे। प्रकरण 10,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र का है अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-7 (जोन-9) -(245/30.05.2017)

विषय:- ग्राम दांतली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 953 रकबा 0.80 हैक्टेयर में से 0.105 हैक्टेयर, खसरा नं. 954 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 955 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नं. 956 रकबा 0.36 हैक्टेयर में से 0.22 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 8250.00 वर्ग मीटर भूमि का संस्थानिक एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति को बताया गया व तथ्यात्मक रिपोर्ट मय क्षेत्रफल गणना प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार दिनांक 8-4-2011 को 3.50 हैक्टेयर भूमि की 90 बी की गई। आवेदक द्वारा इसके बाद सड़क में आ रही भूमि (5834 वर्गमीटर) तथा दक्षिण की ओर की 90-बी के क्षेत्र में शामिल तिकोनी भूमि जो सड़क के सहारे की व्यावसायिक पट्टी में दर्शित है (1116 वर्गमीटर) कुल 6950 वर्गमीटर की 25 प्रतिशत विकसित भूमि 1737.50 वर्गमीटर के स्थान पर कुल 1828 वर्गमीटर भूमि के विकसित व्यावसायिक भूखण्ड एस सी 12,13,14, 15 व 17 का आवंटन ले लिया गया। जिसमें 1828-1737.50=90.50 वर्गमीटर भूमि की राशी जमा करवाई गई। आवेदक द्वारा दक्षिण की ओर समर्पित व्यावसायिक भूमि 1116 वर्गमीटर के 25 प्रतिशत क्षेत्र = 279 वर्गमीटर को छोड़कर शेष आवंटित व्यावसायिक भूमि 1458.50 वर्गमीटर का समर्पण करवाया जावे। इसके समर्पण के पश्चात् प्रकरण पूर्ण तथ्यों के साथ समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे।

Signature

एजेण्डा संख्या:-8 (जौन-11) -(245/30.05.2017)

विषय:- ग्राम चिमनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 124/258 रकबा 0.36 हैक्टेयर में से 0.22 हैक्टेयर, 125/242 रकबा 0.37 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर, 125/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 281/124 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 282/124 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 138 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 139/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 124/264 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 138/259 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 279/139 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 280/138 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 11 रकबा 1.92 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत अफोर्डेबल फ्लेट योजना अनुमोदन बाबत।

ग्राम चिमनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 124/258 रकबा 0.36 हैक्टेयर में से 0.22 हैक्टेयर, 125/242 रकबा 0.37 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर, 125/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 281/124 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 282/124 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 138 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 139/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 124/264 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 138/259 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 279/139 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 280/138 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 11 रकबा 1.92 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्राविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा जारी किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत आवेदित भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष भूमि पर एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 03.04.2017 के बिन्दु संख्या 11.0 के अनुसार 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल की योजना में 5 प्रतिशत भूमि के स्थान पर EWS/LIG हेतु निर्मित क्षेत्रफल का 1 प्रतिशत जन सामुदायिक सुविधा का निमार्ण विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा जिसका अंकन साईट प्लान पर किया जावे। सड़क सीमा से प्रभावित भूमि का भौतिक कब्जा उपायुक्त जौन द्वारा संभाल लिया जावे।

एजेण्डा संख्या:-9 (जौन-12) -(245/30.05.2017)

विषय:- निजी खातेदारी की योजना सनसिटी फेज प्रथम आवासीय योजना के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत।

योजना सनसिटी फेज प्रथम विस्तार जो कि बीपीसी एलपी की 239वीं बैठक दिनांक 27.10.2016 में स्वीकृत की गई है तथा उक्त मानचित्र जारी करते वक्त गणना करने पर ईडब्ल्यूएस/एलआईजी क्षेत्र 665.46 वर्ग मीटर कम हुआ जिसके सदर्थ में विकासकर्ता द्वारा अपनी स्वयं की समीपस्थ योजना सनसिटी फेज प्रथम व द्वितिय में split location पर देने का प्रस्ताव दिया गया। जौन द्वारा प्रस्तावित एजेण्डा पर विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्राविजन 1 ए के बिन्दु संख्या 16 में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हाउसिंग यूनिट पर दिये जाने का प्रावधान है किन्तु भूखण्डों के split location पर दिये जाने के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है अतः split location पर ईडब्ल्यूएस/एलआईजी दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त किये जावें।

एजेण्डा संख्या:-10(जौन-12) -(245/30.05.2017)

विषय :- राजस्व ग्राम किशोरपुराचारणान तहसील जयपुर के खसरा नं. 284 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर आवासीय योजना अनुमोदन बाबत।

वर्तमान में प्रचलित प्रावधानानुसार आवेदित योजना हेतु 40' चौड़ी सड़क होना आवश्यक है किन्तु प्रश्नगत योजना को वर्तमान में 15' से 20' चौड़ी विद्यमान सड़क से ही पहुंच मार्ग उपलब्ध है अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि योजना को अस्वीकृत किया जावे।



3/7

एजेण्डा संख्या:-11(जौन-12) -(245/30.05.2017)

विषय :- ग्राम नींदड तहसील आमेर में स्थित ग्रीन त्रिवेणी K ब्लॉक योजना के गैर अनुमोदित भूखण्ड संख्या के-15 व के-16 के नियमन व ग्रीन त्रिवेणी फेज द्वितिय के भूखण्ड संख्या 176 व 177 के संशोधित साईट प्लान जारी किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा एजेण्डा प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ग्रीन त्रिवेणी K ब्लॉक योजना के गैर अनुमोदित भूखण्ड संख्या के-15 व के-16 को नियमानुसार निर्माण योग्य क्षेत्र मिलने के कारण इनका नियमन किया जावे तथा ग्रीन त्रिवेणी फेज द्वितिय के भूखण्ड संख्या 176 व 177 के संशोधित साईट प्लान जारी किये जावे एवं दोनों संशोधनों का अंकन मूल योजना मानचित्र में किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-12 (जौन-12) -(245/30.05.2017)

विषय :- राजस्व ग्राम निमेडा तहसील जयपुर के खसरा नं. 560/591 रकबा 10 बिस्वा भूमि पर पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करने बाबत्।

प्रश्नगत क्षेत्र सेक्टर 63 में स्थित है तथा एजेण्डा में वर्णित 30 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर प्लान में स्वीकृत नहीं है किन्तु पूर्व में स्वीकृत आवासीय योजना रेजीडेन्सी ए में उक्त सड़क को 30 मीटर स्वीकृत की गई है जिसको दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त सड़क को 30 मीटर प्रस्तावित करने हेतु आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जावे। उपायुक्त जौन द्वारा इस बाबत् विज्ञप्ति जारी की जावे तदुपरांत प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों सहित पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-13 (जौन-12) -(245/30.05.2017)

विषय :- राजस्व ग्राम टाटियावास तहसील आमेर के खसरा नं. 396/3, 399/1, 400, 401/1, 403, 404, 405/935 कुल किता 7 रकबा 3.78 हैक्टेयर भूमि की वेयर हाउस प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 22.11.15 अनुसार 2 हैक्टेयर से बड़ी भूमि पर 5 प्रतिशत सुविधा आरक्षित रखा जाना प्रावधानित है जबकि एजेण्डा में किये गये उल्लेख अनुसार आवेदक द्वारा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के स्थान पर समतुल्य राशि दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर दिशा निर्देश प्राप्त किया जावे राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सुविधा क्षेत्र छोड़ने अथवा समतुल्य राशि जमा होने पर नदी से 30 मीटर सेफ्टी कोरीडोर को नो कन्स्ट्रक्शन जौन रखते हुये वेयर हाउस प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन किया जावे। प्रकरण 4000 वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे।

सड़क सीमा से प्रभावित भूमि का भौतिक कब्जा उपायुक्त जौन द्वारा संभाल लिया जावे।

एजेण्डा संख्या:-14 (जौन-12) -(245/30.05.2017)

विषय :- ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर में जविप्रा द्वारा अनुमोदित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 60246.51 वर्ग मीटर का 3 भूखण्डों में मुख्यमंत्री जनआवास योजना हेतु उपविभाजन करवाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि का सीएम-1, सीएम-2 एवं एक सामान्य ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ तीन भागों में उपविभाजन का अनुमोदन किया गया। प्रचलित प्रावधानानुसार सामान्य ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड हेतु उपविभाजन शुल्क लिया जावे। मुख्यमंत्री जनआवास हेतु प्रस्तावित भूखण्ड संख्या सीएम-1 एवं सीएम-2 पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के पैरामीटर्स एवं सामान्य ग्रुप हाउसिंग पर प्रचलित भवन विनियम के पैरामीटर्स देय होंगे।



4/7

एजेण्डा संख्या:-15 (जौन-13) -(245/30.05.2017)

विषय :- ग्राम राजपुरखान्या तहसील आमर जिला जयपुर के खसरा नं. 179/1 रकबा 0.57 हैक्टेयर एवं 180/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर में से 0.0211 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.5911 हैक्टेयर भूमि का मोटल प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट पिटिशन 1554/2004 के संबंध में जारी निर्णय के परीपेक्ष में नगरीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ12(103)नविवि/2004 पार्ट दिनांक 23.05.2017 में प्रकरणों को **abeyance** में रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। जिसके परीपेक्ष में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण को **abeyance** में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या:-16 (जौन-13) -(245/30.05.2017)

विषय :- राजस्व ग्राम लबाना तहसील आनेर जिला जयपुर के खसरा नं. 1928 रकबा 0.18 हैक्टेयर 1929 रकबा 0.25 हैक्टेयर 1930 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 1931 रकबा 0.09 हैक्टेयर 1932 रकबा 0.09 हैक्टेयर 1932 रकबा 0.12 हैक्टेयर 1933 रकबा 0.14 हैक्टेयर 1962 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना अनुमोदन बाबत्।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट पिटिशन 1554/2004 के संबंध में जारी निर्णय के परीपेक्ष में नगरीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ12(103)नविवि/2004 पार्ट दिनांक 23.05.2017 में प्रकरणों को **abeyance** में रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। जिसके परीपेक्ष में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण को **abeyance** में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या:-17 (जौन-14) -(245/30.05.2017)

विषय :- कमल मीणा दत्तक पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी राजरवालों की ढाणी वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर द्वारा ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर की कुल 1.285 भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकल पट्टा अनुमोदन करने बाबत्।

कमल मीणा दत्तक पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी राजरवालों की ढाणी वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर द्वारा ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर की कुल 1.285 भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3-ए के अर्न्तगत आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श कर सडक सीमा में निहित होने वाली भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने तथा एचटी लाईन से प्रभावित क्षेत्र को नो कन्सट्रक्शन के रूप में रखने की शर्त पर शेष भूमि पर एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 03.04.2017 के बिन्दु संख्या 11.0 के अनुसार 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल की योजना में 5 प्रतिशत भूमि के स्थान पर EWS/LIG हेतु निर्मित क्षेत्रफल का 1 प्रतिशत जन सामुदायिक सुविधा का निमार्ण विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा जिसका अंकन साईट प्लान पर किया जावे।

सडक सीमा से प्रभावित भूमि का भौतिक कब्जा उपायुक्त जौन द्वारा संभाल लिया जावे।

एजेण्डा संख्या:-18 (जौन-14) -(245/30.05.2017)

विषय :- ग्राम मथुरावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 212/1, रकबा 0.62 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 213 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 8940.23 वर्ग गज भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत पुर्नगठन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत ग्राम मथुरावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 212/1, रकबा 0.62 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 213 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 8940.23 वर्ग गज भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 3-ए के अर्न्तगत आवासीय प्रयोजनार्थ पुर्नगठन किये जाने का निर्णय लिया गया।

5/7

अतिरिक्त एजेन्डा संख्या:-1(जोन-6) -(245/30.05.2017)

विषय:-सर्वे कन्सलटेन्ट ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा. लि के संबंध में निर्णय लिए जाने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया प्रकरण में बीपीसी (एल.पी.) की 213 वी बैठक दिनांक 16.4.2014 के एजेन्डा संख्या 2 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कन्सलटेन्ट को "ब्लेकलिस्ट" किया जाना था। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संबंध में स्थिती स्पष्ट करने के लिए तत्कालीन उपायुक्त को पत्र लिखा जावे।

समिति को ओ.एस.डी (आर.एम.) द्वारा बताया गया कि टेन्डर्स एवम इस प्रकार के कार्यों के लिए ब्लेक लिस्टिंग का प्रावधान नहीं होता है य अपितु केवल निश्चित समयावधि (अधिकतम तीन वर्ष) के लिए "DEBAR" का प्रावधान होता है तथा इस प्रकरण में तीन वर्ष की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। सर्वे कन्सलटेन्ट को इस बाबत जविप्रा से कोई नोटिस या पत्र भी नहीं दिया गया है।

बैठक में उपस्थित उपायुक्तगण द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्तानुसार बीपीसी (एल.पी.) दिनांक 16-4-2014 के निर्णय के पश्चात से अब तक कन्सलटेन्ट ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा. लि से जविप्रा के विभिन्न जोनों द्वारा सर्वे कार्य करवाया गया है व इसके आधार पर विभिन्न कार्यों का निस्तारण किया गया है। जोन 6 द्वारा भी एजेन्डा के बिन्दु संख्या 3 अनुसार इस कन्सलटेन्ट से सर्वे कार्य करवाकर योजनाएं अनुमोदित की गई है।

उपरोक्तानुसार ओ.एस.डी (आर.एम.) द्वारा बताये अनुसार स्थिती व अब तक इस कन्सलटेन्ट से करवाये जा रहे सर्वे कार्यों के परिपेक्ष में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि बीपीसी (एल.पी.) दिनांक 16-4-2016 द्वारा ब्लेकलिस्ट किये जाने का निर्णय उपरोक्तानुसार प्रभावहीन हो गया है अतः सर्वे कन्सलटेन्ट ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा.लि को "ब्लेक लिस्ट" नहीं माना जावे।

अतिरिक्त एजेन्डा संख्या:-2 (जोन-7) -(245/30.05.2017)

विषय:-सेक्टर प्लान 56 की 60 मीटर चौड़ी राडक के साथ लगती हुई मौके पर उपलब्ध सडक की भूमि को शामिल करते हुये सडक के अलाईमेंट में आंशिक संशोधन/परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा प्रस्ताव अनुसार सेक्टर प्लान-56 की 60 मीटर चौड़ी सेक्टर सडक में मौके पर उपलब्ध सडक को शामिल करते हुये सडक के अलाईमेंट में प्रस्तावित आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेन्डा संख्या:-2 (जोन-12) -(245/30.05.2017)

विषय :- ग्राम नरसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 20, 20/1, 20/598, 21/1, 22/1, 22/600, 21/599, 33, 660/34, 652/37 कुल किता 10 रकबा 3.99 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जनआवास योजना 2015 के प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

ग्राम नरसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 20, 20/1, 20/598, 21/1, 22/1, 22/600, 21/599, 33, 660/34, 652/37 कुल किता 10 रकबा 3.99 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा जारी किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत आवेदित भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने एवं जोन के प्रस्ताव अनुसार जन सुविधा हेतु आरक्षित 5 प्रतिशत भूमि आरक्षित रखे जाने की शर्त पर एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

सडक सीमा से प्रभावित एवं जन सुविधा हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा संभाल लिया जावे।

gm

नीतिगत निर्णय:-

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ में विचाराधीन रिट संख्या 1554/2004 की पालना सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट पिटिशन 1554/2004 के संबंध में जारी निर्णय के परीपेक्ष्य में नगरीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ12(103)नवि/2004 पार्ट दिनांक 23.05.2017 में प्रकरणों को **abeyance** में रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। जिसके परीपेक्ष्य में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि पूर्व में दिनांक 12.01.2017 के पश्चात् आयोजित बीपीसी एलपी की बैठक में स्वीकृत किये गये प्रकरणों में से जो भी प्रकरण उपरोक्त आदेश से प्रभावित है उनको **abeyance** में रखा जावे।

विषय :- 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्डों में उपविभाजन/पुर्नगठन के संबंध में।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ(1201)नवि/3/2012/पार्ट दिनांक 20.05.2017 अनुसार वर्तमान में भूखण्डों के उपविभाजन/पुर्नगठन हेतु 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल भूमि होने पर प्रकरण राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण ऐसे प्रकरणों का निस्तारण मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना अवधि में किया जाना संभव नहीं होने के कारण उपविभाजन/पुर्नगठन के 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर गठित एम्पावर्ड कमेटी के स्तर पर ही किये जा सकेंगे। जविप्रा में एम्पावर्ड कमेटी नहीं होने की दशा में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि 3000 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के उपविभाजन/पुर्नगठन हेतु जोन स्तरीय समिति को अधिकृत किया जाता है।

John
13/6/17
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

क्रमांक: जविप्रा/ स.स/बीपीसी (एल.पी.)/2017/डी- 62

दिनांक:- 13/06/2017

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/पीआरएन/एल.पी.सी-भूमि) जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी एलपी) प्रथम/द्वितीय
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) प्रथम/द्वितीय जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन 1 से 14 एवं पृथ्वीराज नगर उत्तर/दक्षिण जविप्रा, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

7/7

John
13/6/17
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)